

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-24/2019

1. पृथ्वीराज पुत्र रामरख जाति कुम्हार निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. रामरख पुत्र उदाराम जाति कुम्हार निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।  
2. संदीप कुमार पुत्र रामरख नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता रामरख पुत्र उदाराम जाति कुम्हार निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी पृथ्वीराज को चकनं 6 डीबीएल के प0न0 191/348 मु0 12 किलानं 9/2/.164, 10/2/.025, 11/3/.050, 12/2/.240, प0न0 191/349 मु0 13 किलानं 1/2/.202, 2/.253, 3/.253 है0 तथा प्रतिवादी सं0 2 संदीप कुमार को चकनं 6 डीबीएल के प0न0 191/348 मु0 12 किलानं 19/2/.240, 20/3/.050, 21/3/.050, 22/.253, 23/.253 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं 6 डीबीएल के खाता सं0 51/35 में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....16.08.2019.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी